मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः04.05.2026

थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत नारीबारी में गोली लगने से हुई युवक की हत्या की घटना से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा मय कारतूस बरामद —

विदित हो कि दिनांकः01.05.2026 को थाना को0देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम नारीबारी में बहूभोज कार्यक्रम में एक व्यक्ति को गोली लगने से घायल होने की सूचना पर थाना को0देहात पुलिस द्वारा तत्समय मौके पर पहुंचा गया। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अजय पुत्र भूतनाथ रैदास, उम्र करीब-22 वर्ष की मृत्यु बुंदेला पुत्र रधुनाथ निवासीगण राजापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर के द्वारा हत्या कर दी गयी है। मृतक अजय उपरोक्त के पिता भूतनाथ की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-201/2026 धारा 103(1),238 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर-नितेश सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर-मुनेन्द्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर प्रभारी निरीक्षक को0देहात को वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी-सुरागरसी, भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना के दौरान अभियुक्त चन्द्रभूषण उर्फ मोछू पुत्र राजनारायण निवासी बरईपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर का नाम प्रकाश में आया। दिनांकः03.05.2026 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर रानीपुर के पास बनी रेलवे लाइन पुलिया के पास से प्रकाश में आये अभियुक्त चन्द्रभूषण उर्फ मोछू पुत्र राजनारायण निवासी बरईपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस फायरशुदा बरामद किया गया। थाना को0देहात पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अजय(मृतक) मेरे दूर की बुआ का लड़का है, दिनांकः01.05.2026 को मैं तथा अजय, सूरज के घर बहूभोज में गये थे। मेरे पास एक तमंचा था, जिसे देखने की जिद अजय ने किया। मैं उसे भीड़ से बाहर ले जाकर तमंचा दिखाया तो वह तमंचा लेने की जिद करने लगा। इसी पर मुझे गुस्सा आ गया और मैने उसके सीने में गोली मार दी, जिससे अजय की मृत्यु हो गयी। इसके बाद मैं घबरा गया और उसके शव को खींचकर रेलवे ट्रैक पर ले जा रहा था ताकि ट्रेन आने पर वह कट जाय और उसकी मृत्यु

ट्रेन से कटने के कारण होना लोगों को पता चलें किन्तु कुछ लोगों के आने की आहट पाकर मैं शव को वहीं मौके पर छोड़कर भाग गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

चन्द्रभूषण उर्फ मोछू पुत्र राजनारायण निवासी बरईपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-22 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस फायरशुदा।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-201/2026 धारा 103(1),238 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना को0देहात, मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

रानीपुर के पास बनी रेलवे लाइन पुलिया के पास से, दिनांक:03.05.2026 को समय 19:45 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक अमित मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक को0देहात मय पुलिस टीम।

****